एम–एम–10

खनन अनुज्ञा पत्र का आदर्श प्रपत्र (नियम–55)

मैसर्स गुलशन होम्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा0लि0 पता–सी0–02 वैभव खण्ड इन्द्रापुर गाजियाबाद उपखनिज (परिहार) नियमवली 1963 के नियम–52 के अधीन **प्लाट सं0–जी0एच0–003/ए0, सैक्टर–143 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर** क्षेत्र में साधारण मिटटी का खनन करने के लिए अनुज्ञा–पत्र देने के निमित प्रार्थना–पत्र दिया है, और 2000/–रू0 (चार सौ) का प्रार्थना पत्र शुल्क तथा **28776** घनमी0 सा0 मिटटी 9/–रू0 प्रति घनमीटर की दर से **2,58,984/–** एवं सा0 बालू 22/–रू0 प्रति घनमीटर की दर **30695 घनमी0** स्वामित्व अंकन रू0 **6,75,290/–** इस प्रकार कुल धनराशि अंकन **9,34,274/–**रू0 अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 13/09/2012 द्वारा आज से **03** की अवधि के भीतर निम्मलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये हटाने की अनुज्ञा दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं0	तहसील	प्लाट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1.	दादरी	प्लाट सं0–जी0एच0–003/ए0, सैक्टर–143 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लाट का बेसमेन्ट ऐरिया (ई0 पार्ट–01) 9592 वर्गमीटर है जिसकी की कुल गहराई 6.2 मीटर है।

स्थानः गौतमबुद्धनगर

दिनांक 14/09/2012 से 13/12/2012 तक

शर्ते

1. अनुज्ञापत्र धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं भुगतान निश्चित करेगा।
2. अनुज्ञापत्र धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुज्ञापत्रधारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी/खनन कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम–11 पर ही किया जायेगा।
5. अन्य शर्ते उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अनुसार मान्य होगी।
6. अनुज्ञा पत्र में दी गयी मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी तक मान्य होगी।
7. प्रत्येक 15 दिन में खनन की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. एमएम–11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपर्ण एवं अवशेष एमएम–11 कार्यालय में जमा करायेगें।
9. खनन कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
10. यदि स्वीकृत खनन के अतिरिक्त, अन्य उपखनिज पाया जाता है तो इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय मे तत्काल देनी होगी और अन्य उपखनिज कि रायल्टी का निर्धारण होने एवं उसे जमा कराने के उपरोक्त ही खनन कार्य किया जायेगा।
11. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न करके, शर्तो का उलंघन करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

प्रभारी अधिकारी (खनिज)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः 464(2)/खनन लिपिक/09 दिनांक 14/09/12

प्रतिलिपिः

1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2 जिलाधिकारी/आशुलिपिक गौतमबुद्धनगर।
3 वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
4 उप जिलाधिकारी दादरी जिला गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि स्थल निरीक्षण करें कि खनन कार्य अनुज्ञा पत्र में दी गयी शर्तो के अनुरूप हो रहा है अथवा नही के संबंध में आख्या दें।
5 खान निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान स्थल निरीक्षण कर आख्या दें।
6 थानाध्यक्ष, थाना, गौतमबुद्धनगर।
7 मैसर्स गुलशन होम्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा0लि0 पता–सी0–02 वैभव खण्ड इन्द्रापुर गाजियाबाद द्वारा **प्लाट सं0–जी0एच0–003/ए0, सैक्टर–143 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।**

14-9-12

प्रभारी अधिकारी (खनिज
गौतमबुद्धनगर।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory